

प्रेस नोट दिनांक 27.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले 02 अभियुक्तों को 500 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब एवं 91 क्वार्टर अवैध देशी शराब व अवैध शराब बनाने की सामग्री व उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले 02 अभियुक्तों को 500 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब एवं 91 क्वार्टर अवैध देशी शराब व अवैध शराब बनाने की सामग्री व उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26/27.03.2021 की रात्रि को आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव एवं होली के त्यौहार की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था तभी पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की ग्राम पिपरैदी के जंगल में कुछ लोग अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बना रहे है । सूचना के आधार पर थाना जसवंतनगर पुलिस टीम व आबकारी विभाग की टीम द्वारा तत्काल मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंची तो वहाँ कुछ लोग अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे जोकि पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे । जिन्हे पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तों को पकड लिया गया तथा अन्य दो अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 500 ली0 अवैध अपमिश्रित शराब, 91 क्वार्टर अवैध शराब जिन पर तोफा ब्राण्ड लिखे हुए, 10 किग्रा यूरिया, फर्जी क्यूआर कोड एवं शराब बनाने की सामग्री एवं उपकरण बरामद किए गए ।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद अवैध अपमिश्रित शराब के संबंध में बताया कि हम लोग आगामी होली के त्यौहार एवं पंचायती चुनावों के मद्देनजर शराब की अधिक बिक्री कर धन कमाने के उद्देश्य से यूरिया से अवैध रूप से शराब बनाकर उन्हे क्वार्टरों में भरकर फर्जी क्यूआर कोड लगाकर शराब की बिक्री कर देते है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 125/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471,272 भादवि अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. शिवकुमार पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम पिपरैदी थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।
2. गणेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पिपरैदी थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ।

बरामदगी:-

1. 500 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब 03 ड्रम से
2. 91 क्वार्टर तोफा ब्राण्ड अवैध अप मिश्रित शराब से भरे हुए
3. 32 खाली क्वार्टर
4. 335 ढक्कन
5. 735 फर्जी क्यूआर कोड
6. 10 किग्रा यूरिया

पुलिस टीम:-

प्रथम टीम- श्री नवरत्न गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना जसवंतनगर , उ0नि0 नितेन्द्र वशिष्ठ, उ0नि0 श्री कासिम हनीफ का0 अंकित, का0 सलमान , का0 राजेश, का0 अनुज, का0 आशीष

**सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा**